भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 268
उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

एमएसएमई हेतु सरकारी खरीद नीति

***268. श्री मितेष पटेल (बकाभाई) :**
श्री दुर्गा दास उइके :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सरकारी खरीद नीति का क्या महत्व है;
(ख) इससे केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से की जाने वाली खरीद पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है;
(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसई से की जाने वाली कुल खरीद का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ सहयोग/गठजोड़ के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने/उनका संवर्धन करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(च) सरकार द्वारा देश भर में एमएसएमई क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं;
(छ) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए सरकारी खरीद के अंतर्गत कोई योजना शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और
(ज) अब तक कितने मामलों में राहत प्रदान की गई है और ऐसी राहत की राशि कितनी है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नारायण राणे)

(क) से (ज): वक्तव्य का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *268 जिसका उत्तर दिनांक 21.12.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (ज) में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की बाजार तक पहुंच के साथ- साथ उनका बाजार के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित करके उनके विकास और संवृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें बाद में संशोधन किया गया। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की अधिसूचना के अनुरूप इस नीति का अनुपालन अनिवार्य है। इस नीति में केन्द्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा की जाने वाली कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत की न्यूनतम समग्र खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा उत्पादित उत्पादों/प्रदान की जाने वाली सेवाओं से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के 4 प्रतिशत तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3 प्रतिशत का उप-लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया है।

इस नीति के अंतर्गत एमएसई को उपलब्ध लाभ निम्नानुसार हैं:-

(i) खरीद संबंधी प्राथमिकता – केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएयू द्वारा एमएसई से 25 प्रतिशत वार्षिक खरीद।

(ii) मूल्य सुमेलन सुविधा – यदि किसी गैर एमएसई द्वारा उद्धृत एल1 मूल्य न्यूनतम है तो एल1+15 प्रतिशत के बैंड के भीतर मूल्य उद्धृत करने वाले सहभागी एमएसई को एल1 मूल्य से सुमेकित करने के लिए अपने मूल्य को कम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे एमएसई को कुल निविदा मूल्य के कम से कम 25 प्रतिशत की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(iii) एमएसई को निविदा के सेट नि:शुल्क प्रदान किए जाएगें और उन्हें बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी है।

(iv) एमएसई से खरीद के लिए 358 मदों को आरक्षित रखा गया है।

(ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के कार्यान्वयन की 'एमएसएमई संबंध' पोर्टल के जरिए निगरानी की जाती है। पोर्टल के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 18.12.2023 तक 110 सीपीएसयू तथा एक विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1,03,139.37 करोड़ रुपए की कुल खरीद में से एमएसई से कुल खरीद 35,671.42 करोड़ रुपए (कुल खरीद का 34.59 प्रतिशत) है जिससे 1,23,853 एमएसई लाभान्वित हुए हैं।

(घ) और (ङ) : एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए एमएसएमई की सुदृढ़ता हेतु ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) नामक एक पहल की गई है। ओएनडीसी एमएसएमई मंत्रालय के साथ मौजूदा विक्रेता अनुप्रयोगों के माध्यम से एमएसएमई को नेटवर्क के साथ शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है और साथ ही 2 लाख से अधिक एमएसएमई वाले एमएसएमई – मार्ट के साथ ओएनडीसी को एकीकृत किया जा रहा है। ओएनडीसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

(च) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र का संवर्धन, संवृद्धि और विकास एक सतत प्रक्रिया है और एमएसएमई मंत्रालय इसके लिए सतत रूप से कार्य कर रहा है। स्कीमों/कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) आदि शामिल है। खरीद और विपणन सहायता (पीएमएसएस) स्कीम के घटकों में अन्य के साथ-साथ व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में वैयक्तिक एमएसई की भागीदारी, वेंडर विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना, बारकोड अपनाना, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाना आदि शामिल हैं ताकि एमएसएमई क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए (पीपीपी-एमआईआई आदेश), सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 153 (iii), सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के अनुसरण में दिनांक 15 जून, 2017 को जारी किया गया था तथा यह केंद्र सरकार की खरीद करने वाली इकाइयों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं एवं कार्यों की खरीद के लिए लागू है। इसके अलावा, अपवाद संबंधी मामलों के अलावा 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य वाली निविदाओं के लिए जारी वैश्विक निविदा की जांच नहीं की जाती है।

(छ) : विवाद से विश्वास – भारत सरकार द्वारा एमएसएमई स्कीम के लिए राहत की शुरुआत दिनांक 11.04.2023 को की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दिनांक 31.07.2023 है। इस स्कीम की राहत योजना के अंतर्गत परिसमापन नुकसान का 95 प्रतिशत वापस लौटाया जाना, घटी हुई कार्यनिष्पादन सिक्यूरिटी तथा बोली सिक्यूरिटी जैसी राहत दी गई है। संविदाओं के निष्पादन में चूक के कारण वंचित कर दिए गए एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई राहत एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और उसे सतत रूप से बनाए रखने के सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुसरण में है।

(ज) : दिनांक 15.12.2023 तक एमएसएमई के 30,944 दावों के लिए 672.80 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है।

****